उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या- 33-विनि-23/रा०वि०प०-95-12विनि/91   दिनांक 27 जनवरी, 1995

अधिसूचना
विविध

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद एतद् द्वारा परिषद के कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में निम्न विनियम बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद के कर्मचारियों का स्थायीकरण) विनियम-1995

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा लागू होना

(1) ये विनियम उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (परिषद के कर्मचारियों का स्थायीकरण) विनियम-1995 कहलायेंगे।

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

(3) ये ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो परिषद के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी पद पर आसीन हों तथा उसके विनियम निर्मात्री नियन्त्रण में हों।

2. अध्यारोही प्रभाव

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन परिषद द्वारा बनाये गये किसी विनियम या परिषद द्वारा तत्सम्बन्ध निर्गत किसी आदेश में कुछ भी अन्तर्गत होते हुए भी इन विनियमों के प्राविधान प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएँ :-

जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :-

(क) "एक्ट" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 से है।

(ख) किसी भी सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो सुसंगत सेवा विनियमों के अन्तर्गत या विनियमों के अभाव में, परिषद द्वारा निर्गत किसी आदेश या अनुदेश के अन्तर्गत, ऐसे पद या सेवा में नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत हो।

(ग) "परिषद" का तात्पर्य एक्ट की धारा-5 के अधीन गठित उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद से है।

(घ) इन विनियमों के निमित्त "परिषदीय कर्मचारी" का तात्पर्य परिषद की विनियम निर्मात्री शक्तियों के अधीन परिषद के कार्य कलापों के लिये किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(ङ) "धारणाधिकार" का तात्पर्य परिषद के कर्मचारी द्वारा किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी मौलिक रूप से तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या टाइटिल से है।

(च) "विहित" का तात्पर्य परिषद द्वारा एक्ट की धारा 79(सी) के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा, या विनियमों के अभाव में परिषद द्वारा समय-समय पर किसी सेवा या पद विशेष के संदर्भ में निर्गत अधिशासी आदेशों द्वारा विहित से है।

(छ) "सेवा" का तात्पर्य वही होगा जो परिषद द्वारा एक्ट की धारा 79(सी) के अधीन संगत विनियमों में परिभाषित है या विनियमों के अभाव में जो परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये अधिशासी आदेशों एवं अनुदेशों में परिभाषित है।

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ न होकर सेवा के संवर्ग में किसी पद पर संगत विनियमों के अन्तर्गत किये गये चयन उपरान्त की गई हो तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई विनियम न हो तो परिषद द्वारा तत्समय निर्गत किये गये आदेशों/अनुदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

4. परिषदीय कर्मचारी का स्थायीकरण

(1) परिषद के किसी कर्मचारी को केवल उसी पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पद पर उसकी नियुक्ति :-

(i) सीधी भर्ती द्वारा या

(ii) पदोन्नति द्वारा, यदि उस पद पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती भी हो या

(iii) पदोन्नति द्वारा, यदि वह पद किसी भिन्न सेवा का हो, मौलिक रूप से की गई हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण -

(i) ऐसे पद पर, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति धारणाधिकार न रखता हो, किया जायेगा;

(ii) परिषद द्वारा बनाये गये संगत विनियमों व जारी किये गये अधिशासी आदेशों व अनुदेशों, जैसी भी स्थिति हो, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा किये जाने की शर्तों से प्रतिबन्धित होगा;

(iii) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण – इस बात के होते हुए भी कि परिषदीय कर्मचारी अन्यत्र कहीं स्थायी किया जा चुका है, यदि किसी पद पर उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है; या किसी ऐसे पद पर पदोन्नति की जाती है जिसे भरने के लिये सीधी भर्ती, भर्ती का स्रोत है, तो उसे ऐसे पद पर भी स्थायी किया जायेगा।

§3§ इन विनियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक को, पदधारकों के स्थायीकरण के मामलों को जो विचाराधीन थे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदधारक को स्थायीकरण हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में, उसके स्थायीकरण के आदेश निर्गत कर दियें जायेगें यदि इन विनियमों के विनियम 4§1§ के अन्तर्गत ऐसे आदेश निर्गत करना आवश्यक हो, या जहां ऐसे आदेश निर्गत न करने से पदधारक की वरिष्ठता प्रभावित होती हो।

5. स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है

§1§ यदि परिषद का कोई कर्मचारी नियमित आधार पर सभी विहित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किसी पद पर ऐसे संवर्ग में पदोन्नति किया जाय जिसमें पदोन्नति ही एक मात्र भर्ती का स्रोत हो, तो उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं है।

§2§ उप-विनियम §1§ में संदर्भित पद पर पदोन्नति होने पर परिषद के कर्मचारी को वे सभी लाभ अनुमन्य होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किसी व्यक्ति को मिलते यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई होती।

§3§ जहां परिवीक्षा विहित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर परिषद के कर्मचारी के कार्य एवं आचरण का स्वंय आंकलन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह परिषदीय कर्मचारी उच्च पद या श्रेणी को धारण करने के योग्य है तो वह इस आशय का आदेश निर्गत करेगा कि उस व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। यदि नियुक्ति अधिकारी का यह विचार है कि सम्बन्धित परिषदीय कर्मचारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा है या इस पर अभी कुछ समय और निगरानी रखना आवश्यक हो तो वह उसकी पदावनति उस पद या श्रेणी पर, कर सकता है जिससे उसे पदोन्नति किया गया था या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

§4§ ऐसे मामलों में जहां उच्च पद या श्रेणी में पदोन्नति के लिये निम्न पोषक पद पर स्थायी होना एक आवश्यक शर्त विहित की गई हो वहां विनियम-4 के उप-विनियम §1§ के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी किया गया व्यक्ति उच्च पद पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का पात्र होगा और उसका निचले पोषक पद पर स्थायी होना आवश्यक न होगा।

.........4

दृष्टान्त

(1) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियम-1970 में ट्रेसर का पद, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता में से प्रत्येक के कार्यालय में पूर्ण रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में "क" की नियुक्ति ट्रेसर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाती है; अतः "क" को विनियम 4(1) के अन्तर्गत ट्रेसर के पद पर स्थायी करना होगा।

(2) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के लेखा अधिष्ठान में लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत "क" एक स्थायी लेखाकार है। सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी के पद पर "क" का पुनः स्थायीकरण करना होगा, क्योंकि सहायक लेखाधिकारी का पद भिन्न सेवा का पद है।

(3) "ख" परिषद का एक कर्मचारी है जो उ0प्र0रा0वि0प0 अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिक) ("सेवा",) के अधीन अवर अभियन्ता के पद पर स्थायी है। अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के उपबन्धों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप "ख" को विनियम 4(1) के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता पर भर्ती के स्रोतों में सीधी भर्ती भी एक स्रोत है।

(4) "ग" उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने पर "ग" को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति ही है।

(5) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय जो इसका सचिवालय है में प्रवर वर्ग सहायक का पद उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (मुख्यालय) लिपिकीय सेवा का पद है। उसी प्रकार उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के मुख्यालय पर अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सचिवालय अधिकारी सेवा, का पद है। "घ" जो स्थायी प्रवर वर्ग सहाय है को अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनः स्थायी करना होगा। आगे उसी सेवा में अनु-सचिव एवं अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति होने पर उसका मामला विनियम 5(1) से विनियन्त्रित होगा और "घ" को उच्च पदों पर स्थायी नहीं करना होगा।

(6) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अधीन केवल स्थायी अधिशासी अभियन्ता ही अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का पात्र है। सेवा विनियमावली के उपरोक्त उपबन्ध इस विनियमावली के विनियम-5 के उप-विनियम (4) के अधीन उस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे कि ऐसी पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

.....5

सेवायें व पद जिन पर ये विनियम लागू नहीं होंगे

ये विनियम उन नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसे पद के विरूद्ध ऐसे अधिष्ठान के अन्तर्गत की जाय जो किसी निश्चित व पूर्ण रूप से अस्थायी अवधि के लिये हों जैसे कमेटियां, जांच आयोग, ऐसे संस्थान जिनका गठन किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिये किया जाय व जिसका कार्यकाल मात्र कुछ वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना न हो, ऐसे पद जो निश्चित कार्यकाल के लिये परियोजनाओं में सृजित किये जाते हों तथा पूर्ण रूप से अस्थायी अधिष्ठान के हों।

8. **धारणाधिकार बनाये रखने का अधिकार**

परिषद के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत किसी पद पर स्थायी किया गया हो, या जो किसी उच्च पद पर पदोन्नति कर दिया गया हो और विनियम 5 के उप-विनियम (3) के अधीन यह घोषित किया गया हो कि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, या जो नियमित आधार पर किसी ऐसे उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो जिस पर कोई परिवीक्षा विहित न हो, जैसी भी दशा हो, यथास्थिति यह मान लिया जायगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

9. **छूट**

इन विनियमों की कोई बात परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों द्वारा भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली आरक्षण व अन्य सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेगा।

परिषद की आज्ञा से,

(वीरेश्वर सिंह)
सचिव

सं0- 33।।।।विनि-23/राविप-95-12विनि/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को उ0प्र0 शासन के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,

श्रीवास्तव

।एस0पी0 श्रीवास्तव।
उप-सचिव

सं0- 33।।।।विनि-23/राविप-95-12विनि/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता ।स्तर-1/11।, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त महा-प्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
3. सभापति, जांच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
4. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
7. समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
8. समस्त नियंत्रक,लेखा स्कन्ध/मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, आन्तरिक समीक्षा/उप-मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
9. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
10. बैठक सहायक।
11. ऊर्जा ।2। अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

श्रीवास्तव

।एस0पी0 श्रीवास्तव।
उप-सचिव